कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 30.07.2026

🔶 अपराधियों पर लगातार प्रहार, गोतस्करी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

🔶 थाना इलिया व स्वाट/एसओजी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गोतस्करी के मामले में वांछित व 25000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना- दिनांक 26.09.2025 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, तो वाहन सवार अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें क्रूरतापूर्वक लदे 08 राशि गोवंश बरामद हुए, जिनमें 03 मृत एवं 05 जीवित अवस्था में मिले। मौके से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक मिस फायर कारतूस एवं एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। इस संबंध में थाना इलिया पर मु0अ0सं0-75/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 3/25(1-B)(A) आर्म्स एक्ट एवं धारा 109(1)/325/352 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष इलिया चन्दन कुमार राय व प्रभारी निरीक्षक स्वाट/एसओजी, रामजनम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को थाना इलिया पुलिस टीम व स्वाट/एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में मु0अ0सं0-75/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 3/25(1-B)(A) आर्म्स एक्ट एवं धारा 109(1)/325/352 बीएनएस तथा मु0अ0सं0-83/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना इलिया जनपद चन्दौली में वांछित अभियुक्त 1.रामबाबू यादव उर्फ आनन्द यादव पुत्र शिवलोचन यादव निवासी ग्राम नैपुराकला, थाना लंका, जनपद वाराणसी को माल्दह पुलिया के पास स्थित काली माता मंदिर, ग्राम माल्दह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ गोवंशों को खरीदकर एवं इकट्ठा कर उन्हें पिकअप में लादकर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बिक्री करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रामबाबू यादव उर्फ आनन्द यादव पुत्र शिवलोचन यादव निवासी ग्राम नैपुराकला, थाना लंका, जनपद वाराणसी

बरामदगी- 110 नगद रुपए

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 152/2019, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0 38/2025, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

3.मु0अ0सं0 17/2026, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

4.मु0अ0सं0 75/2025, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 3/25(1-B)(A) आर्म्स एक्ट एवं धारा 109(1)/325/352 बीएनएस, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

5.मु0अ0सं0 83/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली ।

6.मु0अ0सं0 252/2025, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 109(1) बीएनएस, धारा 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना हंडिया गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज।)

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.थानाध्यक्ष चन्दन कुमार राय थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2. प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 साहबदीन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।

4.मुख्य आरक्षी अरविन्द भारद्वाज स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

5.मुख्य आरक्षी राणा प्रताप सिंह स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

6.मुख्य आरक्षी आनन्द सिंह स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

7.मुख्य आरक्षी रामानन्द यादव स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

8.मुख्य आऱक्षी आशुतोष सिंह स्वाट/एसओजी जनपद चन्दौली।

9.आरक्षी गणेश तिवारी सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

10.रि0 आरक्षी अतुल सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

11.रि0आरक्षी अजय कुमार थाना इलिया जनपद चन्दौली।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 30.07.2026

🔷 ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर देशभर में साइबर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 21 डेबिट कार्ड व डिजिटल साक्ष्य बरामद

🔷 थाना मुगलसराय एवं साइबर सेल चन्दौली की संयुक्त कार्यवाही में अन्तर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का सक्रिय 01 सदस्य गिरफ्तार व 01 वांछित की तलाश जारी।

🔷 21 डेबिट कार्ड, 10 साइबर शिकायतों से जुड़े बैंक खाते, 04 मोबाइल फोन, कूटरचित आधार कार्ड सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह व प्रभारी साइबर सेल, मिर्जा रिजवान बेग के कुशल नेतृत्व में साइबर सेल चन्दौली एवं थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा साइबर स्लेवरी एवं म्यूल बैंक खातों से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भ्रमणशील थी, कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित विभिन्न एटीएम से एक युवक लगातार धनराशि निकालने का प्रयास कर रहा है, तथा उसके पास बड़ी संख्या में विभिन्न व्यक्तियों के एटीएम/डेबिट कार्ड मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर डीआरएम कार्यालय जाने वाले मार्ग के पास से उक्त संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अंकित कुमार पुत्र जशवंत सिंह निवासी ग्राम आजन, थाना मदनपुर, जनपद औरंगाबाद (बिहार) बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 21 विभिन्न बैंकों के डेबिट/एटीएम कार्ड, 02 बैंक पासबुक, 04 मोबाइल फोन, 01 कूटरचित आधार कार्ड, 04 खाली सिम पैकेट, 01 सक्रिय वोडाफोन सिम तथा ₹1200 नगद बरामद हुए। बरामद दोनों बैंक खातों का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर परीक्षण करने पर कुल 10 साइबर धोखाधड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एवं ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। प्रथम दृष्टया इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने एवं विभिन्न एटीएम के माध्यम से निकालने में किया जाना पाया गया। डिजिटल जांच के दौरान अभियुक्त के मोबाइल फोन से बड़ी संख्या में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, 06 सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप, 02 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म तथा एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें वह अपने साथियों को साइबर ठगी की धनराशि

को विभिन्न म्यूल खातों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से निकालने की प्रक्रिया समझाता हुआ दिखाई दिया। बरामद समस्त डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण कराया जा रहा है तथा गिरोह के 01 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एवं व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ एवं धनराशि दोगुनी होने का लालच देकर निवेश कराता था। निवेश की गई धनराशि को विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर खरीदे गए म्यूल बैंक खातों में स्थानांतरित कराया जाता था तथा उनसे जुड़े डेबिट कार्डों के माध्यम से देश के अलग-अलग एटीएम से नकदी निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। अभियुक्त ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कूटरचित आधार कार्ड का प्रयोग करना भी स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अंकित कुमार पुत्र जशवंत सिंह, निवासी ग्राम आजन, थाना मदनपुर, जनपद औरंगाबाद (बिहार)

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0-380/2026, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 339 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

बरामदगी-

1-21 विभिन्न बैंकों के डेबिट/एटीएम कार्ड

2-02 बैंक पासबुक (जिन पर कुल 10 NCRP शिकायतें पायी गईं)

3-04 मोबाइल फोन

4-01 कूटरचित आधार कार्ड

5-04 खाली सिम पैकेट

6-01 सक्रिय वोडाफोन सिम

7-1200 रुपए नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.विजय प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष मुगलसराय

2.मिर्जा रिजवान बेग, प्रभारी साइबर सेल, चन्दौली

3.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला, साइबर सेल, चन्दौली

4.उ0नि0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय, प्रभारी चौकी चन्धासी, थाना मुगलसराय

5.हे0का0 संतोष कुमार सिंह, साइबर सेल, चन्दौली

6.का0 राहुल यादव, साइबर सेल, चन्दौली

7.का0 दिनेश यादव, थाना मुगलसराय